



# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

22-10 वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश  
 काम मे व्यक्त है। अतः पत्रावली गतानुसार  
 दिनांक 14-9-18 को पेश हो। अ

14.9.18  
 वकूलाय उप/ अर्थात् नं. 6, 7, 11, 12, 24, 25  
 के रजि० A/D जोरिस तलवाना पेश की गई थी अर्थात्  
 वकील को हिदायत की जाती है कि वकील तलवी  
 दि० 22.10.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 टोडाभीम, करौली (राज०)

22-10 वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश  
 पर अ है। अतः पत्रावली गतानुसार  
 दिनांक 24-12-18 को पेश हो। अ

24.12.18  
 वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी  
अवकाश पर है। अतः पत्रावली गतानुसार  
 दिनांक 4.2.19 को पेश हो। अ

4-2-19 वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश  
 काम मे व्यक्त है। अतः पत्रावली गतानुसार  
 दिनांक 11-3-19 को पेश हो। अ

11-3-19 वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश  
 काम मे व्यक्त है। अतः पत्रावली गतानुसार  
 दिनांक 10-4-19 को पेश हो। अ

4-4-19 वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अवकाश  
 काम मे व्यक्त है। अतः पत्रावली गतानुसार  
 दिनांक 30-5-19 को पेश हो। अ

30.5.19  
 पत्रावली पेश हुई। यदि वकील उपस्थित नहीं है।  
 कई बार आवाज दिलवाई गई फिर भी अर्थात् वकील एवं  
 अर्थात् के उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध अवकाश का  
 पर अर्थात् पत्र अध्याई निवेद्याज्ञा अदम राजिरी एवं  
 अदम सजि-पैरकी में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
 फैसल सुभार लोक नम्बर (ले कम टोक दावा पत्रावली  
 के साथ संलग्न रहे। अ

उपजिला कलेक्टर  
 टोडाभीम (करौली)